न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39/2021 (2021/98)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 05.03.2021

शीर्षक

1. महावीर पिता शंकर लाल जैन निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा राजस्थान। हाल निवास अहमदाबाद (गुजराज)

–प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता लेहरू जाट
2. नानी बाई पत्नि लेहरू जाट
3. भंवर लाल पिता लेहरू जाट
4. रामेश्वर लाल पिता लेहरू जाट
5. कनी पुत्री तुलछा गाडरी
6. गेगी पुत्री तुलछा गाडरी
7. गुलाबी पत्नि तुलछा गाडरी
8. पुरूण पुत्र लेहरू गाडरी
9. बरदु पुत्र तुलछा गाडरी
10. भगवान पुत्र तुलछा गाडरी
11. भैरी पत्नि लेहरू गाडरी
12. सुरेश पुत्र लेहरू गाडरी
    सर्व निवासी सांगास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. उषा सिसोदिया पत्नि नरेश कुमार जीनगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. मूमल होटल लिमिटेड जरिये मैनेजर मूमल होटल, सांगास चौराहे के पास, सांगास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन एच 758, जरिये प्रबंधक भीलवाड़ा।
16. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील सहाड़ा।
17. आई सी आई सी आई शाखा पोटलां जरिये शाखा प्रबंधक तहसील सहाड़ा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री अरविंद चौधरी

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–22.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण [illegible] ग्राम सांगास पटवार सातलियास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार [illegible] कब्जे काश्त की आराजी 121/2 रकबा 0.94 हे0, 122/3 रकबा 0.99 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.93 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 104 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 14, 16, 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 15 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सांगास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 121/2 रकबा 0.94 हे0, 122/3 रकबा 0.99 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.93 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 104 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700/— (सात सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700/— (सात सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner